मौजूदा शिक्षण संस्थानों से संबंधित शरई मसाइल

1-इस्लामी माहौल के मौजूदा (असरी) शिक्षण संस्थानों की ना क़ाबिले इन्कार ज़रूरत है जिन पर एक बहुत बड़े वर्ग के ईमान व इस्लाम के बाक़ी रहने का भी मसला है, इस लिए जिन इलाक़ों में ऐसे इदारे मौजूद न हों उन इलाक़ों में ज़रूरत के मुताबिक़ इस्लामि माहौल के असरी (समकालीन) शिक्षण संस्थानों की स्थापना मुसलमानों के ज़िम्मे लाज़िम है।

2-(अ) समकालीन संस्थान जो मुसलमानों के आधीन व्यवस्थित हों उनका तालीमी निसाब, ज्ञान-विज्ञान की ऐसी लाभकारी पुस्तकों पर आधारित हो जिनसे अपेक्षित उद्देश्य अच्छी तरह प्राप्त हों और वे दीन व अख़लाक़ के बिगाड का कारण भी न बनें, तय हर कक्षा में छात्रें के मेयार (गुणवत्ता) के अनुसार दीनी उलूम पर मुशतमिल (आधारित) ऐसी किताबों को निसाबे तालीम में शामिल करना लाज़िम है। जिससे दीन व ईमान के बुनियादी तक़ाज़े जैसे किः तौहीद (एकेश्वरवाद) व रिसालत (ईशदूत्तव) तथा आख़िरत (परलोकवाद) शिर्क व कुफ्र, हलाल व हराम, तहारत व निजासत (पाकी-नापाकी) इबादत व मुआशरत (समाजयात) के आवश्यक अहकाम व मसाइल से, तथा सीरत नबविया की भी जानकारी हो सके।

(ब) अख़लाक़ को बिगाड़ने वाली जिनसी तालीम (सेक्स शिक्षा), देव मालाई कहानियाँ डाँस-संगीत आदि पर आधारित लेखों (मज़ामीन) को अपने अधिकार से तालीमी इदारों में शामिल करने की शरअन कोई गुंजाइश नहीं।

(ज) अगर किसी क़ानूनी मजबरी की बिना पर शरीअत के ख़िलाफ़ मज़ामीन पर आधारित निसाबे तालीम को लागू करना पड़ जाए तो जहां तक मुम्किन हो तरबियत याफ़्ता (प्रशिक्षित) अध्यापकैंअध्यापिकाओं व माहिर असातज़ा और दीनी व अख़लाक़ी मज़ामीन के ज़रिए से उनके नुक़सानात की भरपाई की कोशिश भी लाज़िम होगी।

3- आर्थिक संसाधनों की कमी या मुस्लिम प्रशासन के अन्तरगत चलने वाले स्कूल व कालिजों के ना होने या किसी और मजबूरी के कारण से अगर बच्चों को ऐसे स्कूलों में प्रवेश कराना पड़े जिनका निसाबे तालीम ग़ैर शरई और ग़ैर अख़लाक़ी मज़ामीन पर मुशतमिल हो तो बहुत ही मजबूरी में बच्चों को शिक्षा के लिए भेजने की गुंजाइश तो होगी, लेकिन उनके दीन व ईमान की हिफ़ाजत के लिए निम्न कामों की व्यवस्था करना भी लाज़िम और ज़रूरी हैः

(अ) तौहीद व रिसालत (एकेशवरवाद और ईशदूतत्व) की अहमियत

(ब) कुफ्र व शिर्क और बुत परस्ती की क़बाहत बुराई को ज़ेहननशीं करने का लगातार निज़ाम बनाया जाए।

(ज) बच्चों को खाली समय में दीनी मराकिज़ (सेन्टर्स) व मकातिब से जोड़ा जाए।

(द) ख़ुद वालिदैन रिश्तेदार (भाई वगैरा), और पूरे घर का माहौल इस्लामी बनाने की फिक्र व कोशिश की जाए।

(ह) साथ ही इस्लामी माहौल के लिए असरी इदारों, तथा बच्चों के ज़ेहन व समझ के मुताबिक दीन-ए-इस्लाम से सम्बंधित मुफ़ीद व असरदार रिसाले व मेगज़ीन पढाने के लिए उपलब्ध कराए जाएं।

4-(अ) इस्लाम बेहयाई व फ़हाशी (अश्लीलता) के तमाम रास्तों को बन्द करना चाहता है, इसलिए अजनबी मर्द व औरत के बीच आज़ादाना मेल-मिलाप को नाजाइज़ ठहराता है, चाहे यह इबादत गाइों में हो या तालीम गाहों में, या खेल कूद और तफ़रीह (मनोरंजन) के मैदानों में, इस लिए व्यस्क (बालिग़) होने के के क़रीब बच्चे-बच्चियों के लिए अलग अलग तालीमी निज़ाम क़ायम करना लाज़िम है, किसी मुस्लिम व्यस्थापक के लिए स्वयं अपने कालिज और इदारों में मख़लूत (मिली जुली) ब्व म्कनबंजपवद तालीमी निज़ाम को फ़रोग़ देना शरअन जाइज़ नहीं।

(ब) अलैहदह तालीमी निज़ाम की सबसे सुरक्षित और बेहतर शक्ल यह है कि दोनों की बिल्डिंगें दोनों के कलास रूम में आने और जाने के रास्ते और शैचालय के स्थान भी बिल्कुल अलग-अलग हों, और अगर इसमें मुश्किलात व कठिनाईयां हों तो एक ही बिल्डिंग और क्लास रूम में छात्र व छात्रओं के बैठने की जगहों के बीच स्थाई आड (ओट) बनाकर तालीमी व्यवस्था करने की गुंजाईश है।

(ज) आर्थिक संसाधनों की कमी या क़ानूनी मजबूरी के कारण अगर उपरोक्त सूरतों और शक्लों को अपनाना मुम्किन न हों तो कम से कम छात्र व छात्रओं के बैठने की सीटों को अलग-अलग स्थापित करने की बहुत ही मजबूरी में गुंजाइश हैं। लेकिन शर्त यह है कि निम्न कामों की भी व्यवस्था की जाए:

☆ उनके बैठने की जगहों के बीच दूसरी इतनी हो कि आसानी से (इख़्तिलात) मेल-मिलाप न हो सके।

☆लड़कियाँ पूरे सातिर लिबास के साथ और हिजाब में हों।

5- शरीअत इस्लामिया ने झूट बोलने तथा असत्य को हराम ठहराया है, चाहे यह मिथ्या ख़िलाफ़े हक़ीक़त शपथ पत्र या नक़ली सर्टिफिकेट की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, इसकी तमाम सूरतें शरीअत में मना हैं, इसलिए आयु से सम्बंधित झूटा शपथ पत्र बनवाना उचित नहीं है।

6- (अ) स्कूल की ड्रेस (युनिफार्म) में निम्न बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है:

(1) सतर पोश हो, (2) बारीक व चुस्त न हो, (3) छात्र व छात्रओं का लिबास एक दूसरे से मिलता जुलता (मुशाबह) न हो, (4) दूसरी कौमों का मज़हबी (शिआर) पहचान न हो।

(ब) अगर स्कूल प्रशासन में ग़ैर शरई यूनिफार्म को लाज़िम क़रार दे रखा हो और उसके बग़ैर कालिजों व स्कूलों में प्रवेश सम्भव न हो और इस निज़ाम (व्यवस्था) को बदलने की भी कोई सूरत न हो तथा कोई वैकलिपक स्कूल भी मौजूद न हो तो इंतिहाई मजबूरी में ऐसे स्कूलों में प्रवेश लेने की गुंजाइश है, परन्तु ग़ैर सातिर यूनिफार्म और मख़लूत (मिली जुली) तालीमी निज़ाम की सूरत में लड़कियों को ऐसी तालीम गाहों

(शिक्षण संस्थानों) में प्रवेश दिलाना जाइज़ न होगा।

7- तालीम एक अहम तरीन ख़िदमत है, लिहाज़ा उसकी फ़ीस ज़रूरत के मुताबिक ही होनी चाहिए, उसको व्यवसाय और मुनाफ़ा ख़ोरी का साधन बनाना बहुत ही बुरा व नापसन्द अमल है।

8- तालीमी संस्थाओं में जब तक प्रवेश बाक़ी है उस समय तक स्कूल प्रशासन का ग़ैर हाज़िरी के दिनों की फीस प्राप्त करना जाइज़ है।

9- समकालीन (असरी) शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा पाने वाले बच्चे अगर शरई लिहाज़ से ज़कात के मुस्तहिक़ हों तो उनको शरई उसूलों (नियमों) के अनुसार उस हद तक ज़कात दी जासकती है जिसे दूसरे हक़दार महरूम न रह जाएँ।

10- इस्लाम तौहीद व रिसालत (एकेशवरवाद और ईशादूतत्व) के संदर्भ में बहुत ही संवेदनशीन है, कुफ्र व शिर्क के मामूली से मामूली शक या सन्देह वाले किसी क़ौल व अमल (कथनी करनी) की गुंजाइश नहीं, इसलिए मुशरिकाना तराने (वंदेमात्रम) गीता शलोक आदि की हरगिज़ कोई गुंजाइश नहीं, न किसी मुशरिकाना काम की कोई इजाज़त है। अगर क़ानूनी मजबूरी हो तो अति शीध्र उसका विकल्प सथापित करना और क़ानूनी चारा जूई करना भी ज़रूरी है। प्रशासन की ओर से मुशरिकाना क़ौल व अमल पर जब (ज़बरदस्ती) की हालत में मुसलमानों का ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को प्रवेश कनाना जाइज़ नहीं।

11- जिन्सियात (सेक्स) की प्रचलित शिक्षा अशलीलता और अख़लाक़ी बिगाड़ का कारण होने की बिना पर शरअन जाइज़ नहीं है लेकिन अगर सरकार की ओर से इसकी शिक्षा को लाज़िम किया जाए तो बच्चें के स्तर के अनुसार इसलामी अहकाम व अक़दार (मूल्यों) पर आधारित किताबों को तरतीब (संकलित) देकर अपने निसाबे तालीम का हिस्सा बनाना चाहिए।

12- तफ़रीही (मनोरंजन) के चिक्तिसीय गतिविधियों के नाम पर छात्र व छात्रओं के बीच मेल-मिलाम भी शरअन ना जाइज़ है। चाहे इख़्तिलात की जो भी शक्ले हों, परन्तु इख़्तिलात के बग़ैर हर सिन्फ़ (प्रत्येक लिंग) के लिए उचित चिकित्सीय व मनोरंजक गतिविधी की अलग-अलग व्यस्था की जाए तो यह जाइज़ होगा, इसी तरह से संजीदा यानी गंभीर व लाभकारी बात-चीत प्रत्येक लिंग के लिए अलग-अलग प्रोग्राम कराना जाइज होगा।

13- पुत्लों और तसावीर (चित्रें) से जहां तक मुम्किन हो बचना चाहिए, अगर किसी फ़ायदेमन्द तालीमी मक़सद से उनके प्रयोग की ज़रूरत आवश्यक हो तो उसकी गुंजाइश है।

14- स्कूल के निसाबे तालीम में लड़के लड़कियों में से प्रत्येक लिंग के लिए भविष्य में पैश आने वाली जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए।

15- जिन्सी शऊर सेक्सुअल समझ बेदार होने के बाद जहां तक हो सके प्रत्येक लिंग के लिए उसी जिन्स का शिक्षक व टीचर नियुक्त करना ज़रूरी है। अगर ज़रूरत व मजबूरी हो तो शरई हुदूद यानि सीमाओं का पास व लिहाज रखते हुए विपरीत जिन्स का शिक्षक व अध्यापक नियुक्त करने की गुंजाइश है।

16- रिश्वत देना शरअन व अख़लाक़ी तौर पर बहुत बड़ा जुर्म है, तथा समाज की बहुत सी ख़राबियों का याक़ीनी कारण है, इसलिए आम हालात में शरीअत में इसकी इजाज़त नहीं। अगर किसी ख़ास हालत में इसकी मजबूरी पेश आए तो किसी अपने निकट सनद याफ़ता माहिर आलिमे दीन से शरई हुक्म मालूम करके अमल किया जाए।

☆☆☆

नोटः 27 वां फ़िक़्ही सेमिनार (मुम्बई) दिनांक 8-8 रबीउल अव्वल 1439 हि0 - 25-27 नवम्बर 2017 ई0